न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निमिषा गुप्ता, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/23/2017

उनवान

1. देबी लाल बलाई पुत्र भैरू लाल बलाई निवासी पीपली तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
2. छाउ देवी पत्नी भैरू लाल , निवासी पीपली तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. रूपा आत्मज भुवाना बलाई निवासी पीपली तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
2. सायर बेवा रामचन्द्र बलाई हाल पत्नि पन्ना बलाई निवासी भोजपुर तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
3. तहसीलदार, भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ के प्रकरण संख्या 100/2012 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.6.2016

अधिवक्तागण :–

1. श्री अशोक गट्याणी, अधिवक्ता अपीलार्थी संख्या 2
2. श्री सुनील मण्डोवरा, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1
3. श्री शोभागमल कुमावत,अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 2
4. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

दिनांक 31.8.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण के पिता,पति /वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा पीपली पटवार हल्का पीपली तहसील व जिला भीलवाडा में वादी की संयुक्त खातेदरी एवं अधिकारों की कब्जेकाश्त की आराजी खाता संख्या 323 में आराजी नम्बर 855 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, आराजी नम्बर 856 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, आराजी नम्बर 857 रकबा 14 बिस्वा, आराजी नम्बर 858 रकबा 07 बिस्वा, आराजी नम्बर 859 रकबा 2 बिस्वा, 869 रकबा 1 बिस्वा गैर मुमकिन चाह कुल किता 6 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा में वादी का 1/2 हक हिस्से पर कब्जाकाश्त है। इसी प्रकार खाता संख्या 243 में स्थित आराजी नम्बर 17 रकबा 3 बिस्वा , आराजी नम्बर 838/11 रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा, 860 रकबा रकबा 14 बिस्वा, 861 रकबा 2 बिस्वा, 862 रकबा 14 बिस्वा, 863 रकबा 2 बिस्वा, 864 रकबा 13 बिस्वा, 865 रकबा 2 बिस्वा, 866 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, 867 रकबा 11 बिस्वा कुल किता 10 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा स्थित है उक्त सम्पूर्ण आराजियात पर वादी अकेले का कब्जाकाश्त है।

2. उक्त खाता नम्बर 323 की आराजियात पर वादी का 1/2 हक हिस्से पर तथा खाता संख्या 243 के खाता संख्या की सम्पूर्ण आराजियात पर अकेले वादी का कब्जाकाश्त है। उक्त आराजियात में वादी रतन आत्मज रामचन्द्र बलाई नाबालिग बबिलायत दर्ज रेकार्ड है तथा रतन आत्मज रामचन्द्र बलाई की मृत्यु दिनांक 1.1.2007 को नाबालिग अवस्था में हो गई थी तथाउसकी संरक्षिका सायरी अन्यत्र नाते चली गई है। मिली जानकारी के अनुसार लोगों ने वर्तमान में भोजपुर में निवास होना बताया है । सायर का

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

उक्त आराजियात में कोई हक–हिस्सा नहीं है, न ही राजस्व रेकार्ड में उसका नाम ही अंकित है। केवल रतन की संरक्षिका होने से उसे वाद पत्र में पक्षकार बनाया है। खाता संख्या 323 में वादी का पूर्व में एक बटा चार 1/4 हिस्सा निहित था व रतन की मृत्यु के बाद 1/4 हक हिस्सा और आधिपत्य में आ जाने से 1/2 हक हिस्से एवं इसी प्रकार खाता संख्या 243 के सम्पूर्ण रकबे को राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने हेतु प्रतिवादीगण कहा तो उनके द्वारा इंकार कर दिया गया । आराजी नम्बर 323 में प्रतिवादी संख्या 1 तथा वादी व स्व0 रतन का नाम दर्ज रेकार्ड है, इसी प्रकार खाता संख्या 243 में वादी का व स्व0 रतन बलाई का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज चा आ रहा है। रतन बलाई की मृयु नाबातिलग अवस्था में दिनांक 1.1.2007 को हो गई है तथा वादी ही स्व0 रतन का निकटतम वारिस है, जिससे उक्त आराजियात में रतन के हिस्से की भूमि का भी वादी ही हकदार है। अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार कर खाता नम्बर 323 में वादी को 1/2 हिस्से तथा खाता संख्या 243 के सम्पूर्ण रकबे का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादी का वाद पत्र खारिज किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण के पिता एवं पति भैरू लाल वादी थे। जिनकी दौराने विचारण

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

वादी की गंभीर बीमारी अस्थमैटिक से ग्रस्त होने के कारण अपीलार्थीगण उनकी सेवा में लग गये एवं दौराने ईलाज दिनांक 14.9.2016 को भैरू लाल की मृत्यु हो गई। चूंकि भैरू लाल जी प्रकरण में वादी थे एवं उनको ही विचाराधीन प्रकरण की जानकारी थी। उनकी मृत्यु के उपरान्त अपीलार्थी की माता छाउ के भी गुर्दे खराब हो गये जिससे अपीलार्थी संख्या 1 उनकी सेवा में लग गया एवं अपीलाधीन निर्णय पारित होने की उसे कोई जानकारी नही थी। अपीलार्थी कलेक्ट्री गया तो उनके मिलने वाले ने जानकारी दी कि आपके पिताजी के समय जो दावा चल रहा था । उसका निर्णय तुम्हारे पक्ष में नहीं हुआ । तब जाकर अपीलार्थीगण को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई। तो अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की नकल प्राप्त कर अविलम्ब अपील प्रस्तुत की है। इस कारण अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जावे।

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय, भीलवाडा के न्यायालय में अपीलार्थीगण के पिता,पति/वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत किया दौराने विचारण वाद पत्र सहायक कलक्टर, भीलवाडा के आदेश से प्रकरण को उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ के न्यायालय में स्थानान्तरित किया गया। उक्त वाद में वादी ने निवेदन किया कि ग्राम पीपली में वादी के संयुक्त खातेदारी व अधिकारों एवं कब्जेकाश्त की आराजियात खाता संख्या 323 की खसरा संख्या 855 लगायत 859 एवं 869 कुल किता 6 कुल रकबा 5 बीघा में अपीलाण्ट का 1/2 हिस्सा व खाता संख्या 243 की खसरा संख्या 17, 838/11, 860 लगायत 867 कुल किता 10 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा का सम्पूर्ण रकबे पर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपीलाण्ट्स/वादी का कब्जाकाश्त चला आ रहा है। उक्त आराजियात का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का अंकन किया ।

7. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि उक्त दावे में वादी ने यह आधार लिया कि रतन आत्मज रामचन्द्र बलाई नाबालिग दर्ज रेकार्ड है तथा रतन के पिता की मृत्यु 1.1.2007 को नाबालिग अवस्था में हो गई थी तथा उसकी माता (संरक्षिका) सायरी अन्यत्र नाते चली गई। जो कि वर्तमान में भोजपुर तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा में निवास करती है। अपीलाण्ट/वादी ने विचारण न्यायालय के समक्ष यह भी निवेदन किया कि खाता संख्या 323 की आराजियात अपीलाण्ट को 1/2 एवं खाता संख्या 243 की सम्पूर्ण आराजियात का तन्हा खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब दावा पेश हुआ तो मात्र दावे का निर्णय बिना विचारण के एवं एक मात्र नोन स्पीकिंग ऑर्डर के तहत एवं अपीलार्थी को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिये बिना कानून के विपरीत जाकर सायरी के बारे में तीन लाईनों में उसका हिस्सा मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधिसम्मत नहीं होने से खारिज योग्य है।

8. अधिवक्ता अपीलार्थीगण का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड, दस्तावेज का अवलोकन नहीं किया एवं पत्रावली को केम्प कोर्ट पर प्रकरण को नियत कर सरसरी तौर पर , सायरी की अनुपस्थिति के बावजूद लोक अदालत की भावना के विपरीत जाकर जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है वह निरस्त योग्य है।

9. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 2 सायरी का अधीनस्थ न्यायालय ने हिस्सा माना है जबकि सायरी अपने पति की मृत्यु के

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

उपरान्त अन्यत्र विवाह कर लिया है। दावे में वादी ने यह भी बताया कि सायरी भोजपुर तहसील शाहपुरा में निवास कर रही है तथा सायरी के अन्यत्र विवाह करने के उपरान्त दो पुत्र एवं एक पुत्री भी है। जो पश्चातवर्ती विवाह से उत्पन्न है। उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने सायरी का वादग्रस्त आराजी में हिस्सा मानकर विधिक भूल की है। अपीलार्थीगण ने सायरी के अन्यत्र विवाह करने के उपरान्त उसके दो पुत्र एवं एक पुत्री पश्चातवर्ती विवाह से उत्पन्न होने के संबंध में भामाशाह कार्ड अनुसार सायरी के दूसरे पति का नाम पन्ना बलाई है, पुत्र गोविन्द एवं भगवती लाल है । इस बाबत ग्राम पंचायत भोजपुर पोस्ट भोजपर तहसील शाहपुरा का पहचान पत्र भी अपील के साथ पेश किया है तथा अन्य साक्ष्य के रूप में आधार कार्ड, मत पहचान पत्र जिसमें सायरी के पश्चातवर्ती पति का नाम भी दर्ज है तथा सायरी के पश्चातवर्ती विवाह से उत्पन्न पुत्री सीमा बलाई का भी आधार कार्ड, निर्वाचक नामावली, प्रस्तुत किया है। उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित कर सायरी का हिस्सा माना है । जो निरस्त योग्य है। उक्त दस्तावेज अपीलार्थी ने अपील के साथ संलग्न किये है। जो वह अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत नहीं कर सका था। चूंकि उसे उक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं हो सका था।

10. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलाधीन निर्णय राजस्व लोक अदालत कैम्प में पारित किया गया है जबकि अपीलाधीन मामले में किसी प्रकार का राजीनामा उभयपक्ष के बीच नहीं हुआ था। राजीनामे बाबत किसी भी पक्ष द्वारा कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तत नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 24.6.2016 में रूपा पुत्र भुवाना (प्रतिवादी) जो कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 है की उपस्थिति दिखाई है जबकि

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

उसके खिलाफ अपीलार्थी/वादी ने कोई अनुतोष नहीं चाहा है। अपीलार्थी/वादी ने वाद हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत निहित करवारने बाबत प्रस्तुत किया था मुख्य प्रतिवादी सायरी से अपने अधिकारों एवं हितों को प्राप्त करने बाबत प्रस्तुत किया । दौराने विचारण वाद सायरी उपस्थित नहीं हुई एवं न ही उसका कोई प्रतिनिधि ही उपस्थित हुआ । नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना मे प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत होने के उपरान्त साक्ष्य, वादी एवं साक्ष्य प्रतिवादी में प्रकरण नियत कर प्रस्तुत दस्तावेज, राजस्व रेकार्ड का अवलोक कर दस्तावेजा को प्रदर्शित करवाया जाना था उसके बाद निर्णय पारित किया जाना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय ने नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नहीं की है।

11. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में पटवारी हल्का ने अपनीरिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि जांच के दौरान जाहिर आया कि अपीलार्थी /वादी भैरू का भाई रामचन्द्र फौत हो जाने के बादउसकी पत्नी सायर ग्राम भोजपुर तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा में अन्यत्र विवाह करके पन्ना बलाई के यहॉ नाते चली गई। वर्तमान में उसी के साथ अपना जीवन यापन कर रही है तथा ग्राम पीपली में निवास नहीं करती है। रामचन्द्र का एकमात्र पुत्र रतन भी नाऔलाद फौत हो चुका है। उपरोक्त जांच रिपोर्ट के विपरीत जाकर पश्चातवर्ती विवाह करी हुई रेस्पोडेण्ट संख्या 2 प्रतिवादी सयार के पक्ष में जो निर्णय पारित किया है वह निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.6.2016 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 संशोधन सन् 2005 के विपरीत पारित किया है । हिन्दु विधि के विपरीत भी यह निर्णय गलत दिया है तथा अपीलार्थी को (वादी) को द्वितीय श्रेणी का वारिस नहीं माना है इस कारण से भी उपखण्ड अधिकारी जी का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.6.

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

2016 निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्ण को निरस्त किया जावे एवं अपीलार्थीगण को वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

12. अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 2 का निवेदन है कि अपीलार्थी ने अपील मियाद के बाहर प्रस्तुत की है एवं अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का समुचित कारण अंकित नहीं किया है अतः अपील अपीलार्थीगण मियाद के बिन्दु पर ही खारिज की जावे।

13. अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 2 का यह भी निवेदन है कि सायरी ग्राम भोजपुर में निवास नही कर ग्राम पीपली में निवास कर रही है। वह नाते नहीं गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है।

14. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थीगण ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्रप्रस्तुत कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है उसके संबंध में अपीलार्थीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप चिकित्सालय में ईलाल चलने संबधी रेकार्ड भैरू लाल का मृत्यु प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत किये हैं। जिनका अवलोकन किया गया । अपीलार्थीगण ने जो दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं जिसका कोई खण्डन प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने के कारण अपील अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानी जाती है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

15. अपीलार्थीगण का कथन है कि वादग्रस्त आराजी ग्राम पीपली में स्थित होकर खाता संख्या 323 की खाता संख्या 855 लगायत 859 एवं 869 कुल किता 6 कुल रकबा 5 बीघा में अपीलाण्ट का 1/2 हिस्सा व खाता संख्या 243 की खसरा संख्या 17, 838/11, 860 लगायत 867 कुल किता 10 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा का सम्पूर्ण रकबा अपने कब्जोकाश्त मे होना तथा उक्त आराजी में 1/2 रतन का नाम जरिये नाबालिग संरक्षिका सायर का नाम होने का कथन करते हुए निवेदन किया कि रतन की मृत्यु हो चुकी है एवं सायर ने अन्यत्र नाता विवाह कर लिया है एव वर्तमान में वह ग्राम भोजपुर तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा में निवास कर रही है ।इस बाबत अपीलार्थीगण ने अपील के साथ सायर पत्नि पन्ना निवासी भोजपुर होने की ताईद में उसका आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जिसमें सायर के पति का पन्ना लाल अंकित होना तथा पश्चातवर्ती विवाह से उसके दो पुत्र एवं एक पुत्री सीमा बलाई होना तथा सीमा बलाई का आधार कार्ड की फोटो प्रति प्रस्तुत की है। अपीलार्थीगण का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में उन्हें सुनवाई एव साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं मिल पाया था। जहॉ तक रतन का प्रश्न है उसकी मृत्यु हो चुकी है। ऐसी स्थिति में रतन के हिस्से का वादी/अपीलार्थीगण वारिस होने के कारण खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है।

16. नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना में उभयपक्ष को साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, राजस्व रेकार्ड का अवलोकन करने के उपरानत गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना चाहिये। अपीलाधीन प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2 सायर स्वयं उपस्थित नही हुई। अपीलार्थीगण ने जो दस्तावेज अपील के साथ न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किये हैं उनके

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अवलोकन से रतन की संरक्षिका सायर का अन्यत्र विवाह करना साबित होता है। सायर के पश्चातवर्ती विवाह से दो पुत्र एवं एक पुत्री का जन्म होना भी स्पष्ट होता है। उक्त दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हुए है एवं न ही वे प्रदर्शित कराये गये हैं। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 30.6.2016 को दिनांक 22.6.2016 निर्धारित की गई व प्रकरण में निर्धारित दिनांक को सुनवाई नहीं कर दिनांक 24.6.2016 को कैम्प कोर्ट पीपली पर प्रस्तुत हुआ । जिस बाबत कोई नोटिस पत्रावली में संलग्न नहीं है । वादी व प्रतिवादी संख्या 1 उपस्थित बताये गये जबकि वादी/उसके अधिवक्ता उपस्थित नहीं थे। प्रकरण में दिनांक 4.6.2013 को अंतिम बार प्रोपर सुनवाई की जाकर तामील हेतु निर्धारित था। जिसके उपरान्त लगातार प्रकरण में मोहर लगी व सीधे ही कैम्प कोर्ट में दिनांक 24.6.2016 कोप्रकरण निर्णित कर दिया गया । अपीलाधीन मामले में उभयपक्ष को अपना पक्ष साक्ष्य, सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है । जबकि मूल वाद में नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना में एवं सी पी सी की प्रक्रिया को अपनाते हुए उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित करना वांछित था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन नहीं किया जा सकता है।

17. अतः अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.6.2016 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त ऑब्जर्वेशन की पालना में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर प्रस्तुत दस्तावेज रेकार्ड का अवलोकन कर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जावे।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 31.10.18 को उपस्थित रहें।

18. निर्णय आज दिनांक 31.8.2018 को सरे इजलास सुनाया गया ।

31/8/18

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा